भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1052

उत्तर देने की तारीख : 05.02.2026

महाराष्ट्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र का विकास

1052. श्री अरविंद गणपत सावंत :
श्री संजय उत्तमराव देशमुख :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वाशिम-यवतमाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही वर्तमान योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और लक्षित लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) एमएसएमई क्षेत्र में विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और नवाचार के लिए वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख पहलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान रियायती ऋण योजनाओं के तहत वाशिम-यवतमाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में एमएसएमई को वितरित और उपयोग की गई कुल निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र में विशेषकर क्लस्टर विकास के लिए एमएसएमई क्षेत्र को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु कोई नए प्रस्ताव या योजनाएं विचाराधीन हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन की संभावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : एमएसएमई मंत्रालय की स्कीमें केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं इसलिए राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार निधियाँ आवंटित नहीं की जाती हैं। क्रियान्वित स्कीमों में अन्य के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई), आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड शामिल हैं। इन स्कीमों के तहत उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) स्कीम के लाभ महाराष्ट्र के वाशिम-यवतमाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर के सभी पात्र एमएसएमई के लिए उपलब्ध हैं।

(ख) : इन स्कीमों का उद्देश्य, विस्तार और लक्षित लाभार्थी निम्न प्रकार से हैं:

- पीएमईजीपी: प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के द्वारा स्व-रोजगार के सतत अवसरों का सृजन करना है। यह कार्यक्रम उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को कम करने और पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की आय-अर्जन क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित है।

- सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) महाराष्ट्र सहित देश भर में लागू है। इस स्कीम का उद्देश्य मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफ़सी) की स्थापना और मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/एस्टेटों/फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों के उन्नयन/नए औद्योगिक क्षेत्रों/एस्टेटों/फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों की स्थापना के लिए भारत सरकार (जीओआई) के अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता के माध्यम से क्लस्टर दृष्टिकोण को अपनाते हुए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के समग्र विकास के लिए इन उद्यमों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।
- क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस): यह स्कीम सीजीटीएमएसई के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है और इस स्कीम से बिना किसी कोलेटरल के एमएसई के लिए संस्थागत ऋण तक पहुँच को सक्षम बनाया गया है।
- आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड : इसमें व्यवहार्य एमएसएमई के संवर्धन एवं विस्तार के लिए इक्विटी समर्थन का प्रावधान है।
- उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी): यह कार्यक्रम उद्यमिता, स्व-रोजगार, एमएसएमई का क्षमता निर्माण और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ाता है; और युवा, आकांक्षी उद्यमियों और मौजूदा एमएसएमई की और लक्ष्यांकित है।

(ग): एमएसएमई क्षेत्र में विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रोद्यौगिकी उन्नयन और नवाचार पर फोकस करने वाली मुख्य पहलों में निम्न शामिल हैं:

1. विकास और डिजिटलीकरण

- उद्यम पंजीकरण और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी): एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमाओं को बढ़ाकर (क्रमश: 2.5गुना और 2 गुना) संशोधित किया गया है जो दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी है ताकि भारत सरकार की स्कीमों के लाभों से वंचित हुए बिना एमएसएमई का विकास हो सके। दिनांक 04/02/2026 की स्थिति के अनुसार, 7.62 करोड़ से अधिक एमएसएमई पंजीकृत हैं, जिन्हें औपचारिकीकरण और व्यापार में सुगमता की सुविधा प्रदान की गई है।
- पीएम विश्वकर्मा स्कीम: इस स्कीम में 18 पारंपरिक व्यापारों को समग्र सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें कोलेटरल मुक्त ऋण, कौशल प्रशिक्षण और उन्नत टूलकिट शामिल हैं।
- एसआरआई फंड: इसमें क्षमतावान एमएसएमई के विकास एवं विस्तार में सहायता प्रदान करने के लिए इक्विटी निवेश का प्रावधान है। दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार, 69 अनुषंगी निधियों (डॉटर फंड) को सूचीबद्ध किया गया है जिनके द्वारा 693 एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई है।

2. प्रतिस्पर्धात्मकता वर्धन

- एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम: यह स्कीम अपशिष्ट कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लीन विनिर्माण पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- रैंप स्कीम (एमएसएमई के कार्य निष्पादन में संवर्धन और गतिवर्धन): एक वर्ल्ड बैंक समर्थित कार्यक्रम जो प्रोद्यौगिकी उन्नयन, बाजार तक पहुँच बढ़ाने और संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।
- सार्वजनिक खरीद नीति: यह नीति केंद्रीय मंत्रालयों/सीपीएसई द्वारा एमएसई से 25% वार्षिक खरीद का अधिदेश प्रदान करती है, जिनमें एससी/एसटी के स्वामित्व वाले उद्यमों से 4% और महिला स्वामित्व वाले उद्यमों से 3% की खरीद शामिल है।
- निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफ़सी): निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए परामर्श प्रदान करने हेतु 65 ईएफ़सी की स्थापना की गई है।

3. प्रोद्यौगिकी उन्नयन और नवाचार

- एमएसएमई नवाचार स्कीम (चैम्पियंस स्कीम): इस स्कीम की शुरुआत दिनांक 10 मार्च, 2022 को की गई थी, यह एक समग्र दृष्टिकोण आधारित स्कीम है जिसमें इंक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर वर्टिकल का विलय किया गया है। यह स्कीम एमएसएमई हैकाथन के माध्यम से आइडिया इंक्यूबेशन के लिए 500 युवा उद्यमियों को 15 लाख रुपए प्रति उद्यमी के रूप में सहायता प्रदान करती है।

- एमएसएमई सस्टेनेबल (ज़ेड) प्रमाणन: ज़ेड 2.0 के रूप में पुनर्गठित (सितंबर, 2024), यह स्कीम गुणवत्ता, उत्पादकता और हरित अनुपालन में सुधार के लिए एमएसएमई की सहायता हेतु प्रमाणन लागतों में 20% की छूट प्रदान करती है।
- प्रोद्यौगिकी केंद्र (टीसी) और विस्तार केंद्र (ईसी): एमएसएमई मंत्रालय ने 18 प्रोद्यौगिकी केन्द्रों (टीसी) की स्थापना की है और टीसीएसपी के तहत 15 नए प्रोद्यौगिकी केन्द्रों को स्थापित किया जा रहा है जिनमें से 9 टीसी का उद्घाटन कर उन्हें देश को समर्पित किया गया है। इसके अतिरिक्त, संपूर्ण भारत में टीसीईसी के तहत 20 नए टीसी और 100 विस्तार केन्द्र (ईसी) स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से इस स्कीम के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले 100 विस्तार केन्द्रों (ईसी) के लिए 62 स्थान अनुमोदित किए गए हैं। इन 62 स्थानों में से वालुज और सोलापुर में विस्तार केन्द्र अनुमोदित हैं। ईसी-वालुज प्रचालन में है और सोलापुर को हाल ही में दिनांक 16.12.2025 को अनुमोदित किया गया है। ये केंद्र एमएसएमई को प्रोद्यौगिकी, कौशल विकास, परामर्शी सुविधाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं और ये केंद्र सीएनसी 5 एक्सिस, ईडीएम, हाइड्रौलिक प्रेस, इंजेक्शन मोल्डिंग, वीएचटी आदि जैसी अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं, जो इसकी भौगोलिक पहुँच को बढ़ाते हैं। यह केंद्र विशिष्ट प्रशिक्षण, परिशुद्धता घटक और टूलिंग प्रदान करते हैं।
- एमएसई-गिफ्ट (वित्त सुधार के लिए हरित निवेश): ये स्कीम एमएसएमई को सतत विनिर्माण के लिए हरित प्रोद्यौगिकी अपनाने पर ध्यान केंद्रित करती है।

(घ) : भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा महाराष्ट्र में रियायती ऋण स्कीमों के तहत एमएसएमई को संवितरित निधियाँ निम्न प्रकार से हैं:

- वर्ष 2022–23: 3,26,353.90 करोड़ रुपए
- वर्ष 2023–24: 4,38,730.12 करोड़ रुपए
- वर्ष 2024–25: 4,64,031.77 करोड़ रुपए

(ङ) और (च): एमएसएमई मंत्रालय महाराष्ट्र सहित देश भर में सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) क्रियान्वित करता है। एमएसई-सीडीपी केंद्रीय क्षेत्र की माँग प्रेरित स्कीम है जबकि, राज्य सरकारें, क्लस्टरों की आवश्यकता के अनुसार, सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना और अवसंरचनात्मक विकास (आईडी) परियोजनाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए प्रस्ताव भेजती हैं। महाराष्ट्र में एमएसएमई क्षेत्र हेतु क्लस्टर विकास के लिए कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

******